उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डाण्डा लखोण्ड, गुजराड़ा, देहरादून।

पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1521/M-2-2002-220/2002 दिनांक 07 दिसम्बर, 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइवज कौंसिल का गठन किया गया है, जो की उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम आदि में कार्यरत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, पी0एच0एन0, हैल्थ विजिटर, बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं एम0एस0सी0 नर्सिंग के पंजीकरण का कार्य सम्पादित करेगी। नर्सिंग कौंसिल का कार्य विधिवत् सम्पादन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल शासी निकाय निम्न दिशानिर्देश अनुमोदित करती है।

नर्सिंग पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश :

(अ) उत्तराखण्ड राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी :– उत्तराखण्ड राज्य से नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निम्न मूल अभिलेख एवं सम्बन्धित अभिलेखो की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

1. दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अंक–पत्रो एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
3. ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / पी0एच0एन0 / एच0वी0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं एम0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित वर्षवार सभी अंक–पत्रों, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां जमा की जानी होगी।
4. प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने का सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति।
5. अभ्यर्थियों को अपने फोटो एवं हस्ताक्षर सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य से प्रमाणित कर पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना होगा। (प्रारूप नर्सिंग कौंसिल कार्यालय से प्राप्त कर लें)
6. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ अपनी निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में एक शपथ पत्र रू0 10/– स्टाम्प पेपर नोटराईज आवेदन पत्र के साथ जमा कराया जाना होगा (प्रारूप नर्सिंग कौंसिल कार्यालय से प्राप्त कर लें) ।
7. विवाहोपरान्त नाम परिवर्तन होंने पर इस आशय का शपथ पत्र रू0 10/– स्टाम्प पेपर नोटराईज (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

8. शैक्षिक / नर्सिंग प्रशिक्षण योग्यता से सम्बन्धित अन्य आवश्यक दस्तावेज जो उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल कार्यालय द्वारा पंजीकरण के लिए आवश्यक समझा जाय, की छायाप्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
9. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।
10. निर्धारित पंजीकरण शुल्क किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, देहरादून के पक्ष में देय हो संलग्न किया जाना होगा।
11. अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षिक अभिलेखो की साफ सुस्पष्ट पढ़े जाने योग्य छायाप्रतियां ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे, जांच उपरान्त संलग्न अभिलेख सुस्पष्ट नही होंने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नही किया जा सकेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. आवेदन के साथ सभी स्वप्रमाणित निर्धारित अभिलेखों की छायाप्रति एवं सभी संलग्नको, शपथ पत्र एवं आवेदन फार्म में एक समान ही हस्ताक्षर (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में होंने आवश्यक होंगे।

(ब) अन्य राज्यो से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी :–

अन्य राज्यों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को उक्त वर्णित बिन्दु संख्या–1 से 12 के अतिरिक्त निम्न अभिलेख भी जमा किया जाना होगा।

1. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र / उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग संस्थानों में सम्बन्धित संवर्ग में सेवारत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा किया जाना आवश्यक होगा।
2. सम्बन्धित राज्य का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में सरेन्डर किया जाना होगा।
3. पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं एम0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों को एडिशनल योग्यता का पुनः पंजीकरण के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। बेसिक योग्यता के पंजीकरण के लिए पहले अलग से आवेदन किया जाना आवश्यक होगा।
4. पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार सभी दस्तावेज सम्बन्धित बोर्ड / संस्थान / राज्य को सत्यापन हेतु भेजा जायेगा, जिसमें समयावधि निश्चित नही की जा सकती है का सत्यापन के उपरान्त ही पंजीकरण किया जा सकेगा।
5. अन्य राज्यो से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का पंजीकरण सम्बन्धित राज्य एवं भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार किया जा सकेगा।
6. नर्सेज एण्ड एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में समस्त प्रमाण पत्र जमा करने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी किन्हीं करणों के तहत अपना मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस लेता है और एक माह

के अर्न्तगत पुनः नर्सिंग कौंसिल कार्यालय में जमा नही करता है, तो उसका आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा। इस हेतु जमा शुल्क वापस नही किया जायेगा एवं पुनः पंजीकरण हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को नया आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(स) **पंजीकरण नवीनीकरण :–**

उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल 05 वर्ष के लिए ही वैद्य होगा। पंजीकरण नवीनीकरण के लिए निम्न अभिलेख आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1. उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट।
3. दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
4. स्थाई निवास का प्रमाण पत्र/वोटर आई डी/पोसपोर्ट/आधार कार्ड/पेन कार्ड ।
5. उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, नर्सिंग संस्थानों में सम्बन्धित संवर्ग में सेवारत का प्रमाण पत्र की प्रति।
6. भारतीय नर्सिंग परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित अथवा राज्य की अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्गत नर्सिंग संवर्ग की वर्कशाप, सेमीनार मे प्रतिभाग किये जाने का प्रमाण पत्र तथा भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये अन्य अनिवार्य अर्हतायें जिसमें continuing nursing education की प्रति।

(द) **पंजीकरण की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) :–**

पंजीकरण की द्वितीय प्रति एक बार ही दी जायेगी। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति के लिए निम्न अभिलेख आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1. निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।
2. पंजीकरण प्रमाण पत्र के खोने की स्थिति में इस आशय की सूचना अखबार में प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त न होनें की स्थिति में पुलिस थाने में प्रमाण पत्र खोने की रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना होगा।
3. सम्बन्धित प्रमाण पत्र खोने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र।
4. पुलिस रिपोर्ट की प्रति।
5. पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(य) **पंजीकरण शुल्क :–**

उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में पंजीकरण शुल्क समय–समय पर संशोधित किया जायेगा जिसके लिए अध्यक्ष, उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, देहरादून अधिकृत होंगे।